भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 732

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2013/20 अग्रहायण, 1935 (शक)

<u>सन्निर्माण कामगारों के लिए भविष्य निधि का दायरा</u>

732. श्री मोहम्मद अली खान:
श्रीमती टी रत्नाबाई:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सन्निर्माण कामगारों को भविष्य निधि के दायरे से बाहर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): जी, नहीं। भवन एवं निर्माण उद्योग में लगे प्रतिष्ठानों को अधिसूचना साकानि संख्या 1069 दिनांक 11-10-1980 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अंतर्गत शामिल किये जाने वाली सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। अत: भवन एवं निर्माण उद्योग में लगे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी अन्य उद्योगों के कर्मचारियों के समतुल्य अधिनियम और उसके अंतर्गत बनायी गई योजनाओं के तहत उपलब्ध प्रसुविधाओं के पात्र हैं।

(ग): ऊपर प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता ।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 736

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2013/20 अग्रहायण, 1935 (शक)

कुछ सरकारी निकायों द्वारा भविष्य निधि कानून का उल्लंघन

736. श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को कुछ सरकारी निकायों द्वारा भविष्य निधि कानून के उल्लंघन की जानकारी है जैसाकि प्रिन्ट मीडिया में खबरें आ रही हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं; और
(ग) सभी सरकारी निकायों द्वारा भविष्य निधि कानून का अक्षरश: अनुपालन हो सके, इसके लिए मंत्रालय ने क्या उपचारी कार्रवाई की है अथवा करेगा?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क) और (ख): भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों एवं स्वायत्त निकायों द्वारा जहां कहीं उनके कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं होता है, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 की धारा 7 क के अंतर्गत उन्हें भुगतान किए जाने वाले बकायों के बारे में जानकारियां प्राप्त की जाती हैं।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के उल्लंघन के लिए ऐसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है:

(i) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 की धारा 7 क के अंतर्गत बकायों के आकलन के लिए चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ii) अधिनियम की धारा 14 ख के अंतर्गत बकायों को देर से जमा करने के लिए जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाती है।

(iii) अधिनियम की धारा 7 थ के अंतर्गत देर से अदायगी करने के लिए ब्याज लगाने की कार्रवाई की जाती है।

(iv) अधिनियम की धारा 8 ख से 8 छ के अंतर्गत यथाउल्लिखित वसूली की कार्रवाई की जाती है।

(v) अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत समुचित न्यायालय में चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन मामले दायर करने की कार्रवाई की जाती है।

(vi) कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से काटे गए उनके हिस्से के अंशदान का भुगतान न करने/ निधि में जमा न करने पर नियोक्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 748

बुधवार, 11 दिसम्बर, 2013/20 अग्रहायण, 1935 (शक)

भविष्य निधि के कर्मचारियों की वेतन सीमा में वृद्धि

748. श्री रामचन्द्र खूंटिआ:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यंत्रीकरण और कामगारों की संख्या में कटौती के मद्देनजर भविष्य निधि के कर्मचारियों की वेतन सीमा में 15000 रुपये तक की वृद्धि और कामगारों की संख्या 20 से घटाकर 5 करने पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार भविष्य निधि संबंधी पेंशन न्यूनतम पेंशन के रूप में बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह करने पर भी विचार कर रही है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत मज़दूरी की अधिकतम सीमा 6500/- रूपये से बढ़ाकर 15000/- रूपये करने और कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या को 20 से कम करके 10 करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख): कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के अन्तर्गत पेंशन धारक सदस्य को 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करने का एक प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 187

बुधवार, 18 दिसम्बर, 2013 / 27 अग्रहायण, 1935 (शक)

भविष्य निधि पेंशन में वृद्धि

*187. श्री पी. राजीव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने भविष्य निधि पेंशन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्मचारियों से भविष्य निधि पेंशन के लिए अंशदान के रूप में कुल कितनी धनराशि जमा की गई है; और

(ग) इस योजना में कर्मचारियों, नियोक्ताओं तथा सरकार का कितना-कितना अंशदान है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार मंत्री
(श्री ऑस्कर फर्नांडिस)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

भविष्य निधि पेंशन में वृद्धि के बारे में श्री पी. राजीव द्वारा 18.12.2013 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 187 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सदस्य पेंशनभोगियों को 1000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में कर्मचारी अंशदान नहीं देते।

(ग): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में कर्मचारियों, नियोक्ताओं तथा सरकार का अंशदान निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	ब्यौरा	मजदूरी का %
1.	कर्मचारियों का अंशदान	शून्य
2.	नियोक्ताओं का अंशदान	8.33%
3.	सरकार का अंशदान	1.16%

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1501

बुधवार, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण 1935 (शक)

ई पी एफ ओ के द्वारा निजी नियोजन एजेंसियों का पर्यवेक्षण

1501. श्री ए विलियम रवि बर्नाड:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी विभागों को ठेका श्रमिकों की आपूर्ति कर रही निजी नियोजन एजेंसियां कथित रूप से श्रमिकों के वेतन न देने और भविष्य निधि भुगतान से बचने को लेकर ई पी एफ ओ के पर्यवेक्षण में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार और इसकी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हाउसकीपिंग, सुरक्षा और आई टी सबंधित कार्यों के लिए लगभग 18.4 लाख ठेका श्रमिकों को नियोजित करते हैं और भविष्य निधि का भुगतान करने के लिए मूल नियोक्ता जिम्मेदार होता है जिसे विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा मूल भावना से लागू नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या जरूरी कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): भविष्य निधि देयों के प्रेषित धन में निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों के चूक करने के कुछ दृष्टांत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निगाह में आए हैं।

(ख): ईपीएफओ में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 30.11.2013 की स्थिति के अनुसार कुल 16000 से अधिक निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों में से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाली ऐसी 763 स्थापनाओं की रिपोर्ट की गई है।

(ग): अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्रीय सरकार आउटसोर्स मोड के माध्यम से पर्याप्त संख्या में ठेका कामगारों को नियोजित करती है। वे प्रधान नियोक्ता होने के नाते कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 30 के अनुसार इन ठेका कामगारों के संबंध में भविष्य निधि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कार्यालयी वेबसाइट में में प्रावधान किए गए हैं जिससे केन्द्र और राज्यों दोनों के विभिन्न सरकारी विभागों सहित प्रधान नियोक्ता द्वारा कार्यबद्ध की गयी निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों द्वारा किए गए भविष्य निधि के भुगतान की जांच कर सकते हैं।

अपने कामगारों को भविष्य निधि के लाभों का भुगतान करने में असफल होने वाली भूल करने वाली निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाइयां की जाती हैं।

1. देयों के निर्धारण के लिए चूककर्ता स्थापनाओं के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

2. विलंब से जमा किए गए देयों पर हर्जाना लगाने के लिए अधिनियम की धारा 14ख के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

3. विलंब से भेजे गए धन पर ब्याज लगाने के लिए अधिनियम की धारा 7थ के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

4. अधिनियम की धारा 8ख से 8छ तक के अंतर्गत यथा व्यवस्थित वसूली कार्रवाईयां की जाती हैं।

5. सक्षम न्यायालय के समक्ष चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

6. कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन से काटे गए लेकिन निधि में जमा न किए गए कर्मचारियों के अंशदान के भाग का भुगतान न करने के लिए नियोक्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1502

बुधवार, 18 दिसम्बर, 2013/27 अग्रहायण 1935 (शक)

भविष्य निधि खातों से फर्जी निकासी

1502. श्री प्रकाश जावडेकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्जी निकासी दावों के जरिए भविष्य निधि खातों से कई करोड़ रुपए की राशि निकाली गई है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों को फर्जी निकासी से बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री कोडिकुन्नील सुरेश)

(क): जी नहीं।

(ख): उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग): कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों को कपटपूर्ण आहरणों से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) जहां स्थापना कार्यचालित है वहां प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दावा फॉर्मों का अनुप्रमाणन अनिवार्य बनाया गया है।

(ii) उन मामलों में जहां नियोक्ता मौजूद न हो वहां बैंक के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) की यथा अपेक्षानुसार सदस्य की पहचान के लिए कम-से-कम एक दस्तावेज के साथ बैंक प्राधिकारियों द्वारा अनुप्रमाणन पर बल दिया जाता है।

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों को ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in के माध्यम से 'अपना ईपीएफ शेष जानें' तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान की गई है।

(iv) ईपीएफ सदस्य को ई-पासबुक की सुविधा भी प्रदान की गई है। यह कर्मचारी भविष्य निधि खाते का ऑनलाइन रूपांतर है। लेन-देनों को रिकार्ड किया जाता है तथा सदस्य द्वारा ईपीएफओ की वेबसाइट पर स्वयं पंजीकरण कराके आसानी से इनका पता लगाया जा सकता है।

(v) दावों का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है।

(vi) सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन अंतरण दावा पोर्टल (ओटीसीपी) की सुविधा दी गई है ताकि भविष्य निधि के सदस्य अपने बहु भविष्य निधि खातों को अपने चालू सक्रिय खातों में अंतरित करा सकें।

(vii) धोखाधड़ी की रोकथाम के सभी उपाय करने के लिए फील्ड कार्यालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

*****